(नियम 26)

2022/406

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम झुन्झुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव बनाम श्री रामनिवास पुत्र श्री फुलचन्द

किस्म मुकदमा FSSA 2 नं. 60 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.11.2022	यह प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 एवं सपठित धारा 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैर सायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21.12.2022 को पेश हो।	
21.12.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी घुमचक्कर सीकर रोड़, नवलगढ झुन्झुनू में मै0 रणवां डिपार्टमेन्टल स्टोर के नाम फर्म है। जहां वह भुजिया, नमकीन, टेस्टी, बिस्किट आदि का बेचान करता है। उसकी फर्म से नमकीन भुजिया (कैलाश) का सैम्पल लिया गया था जो कि मिसब्रान्डेड पाया गया है। यह नमकीन भुजिया उसने पैक्ड ही सप्लायर से खरीदा था तथा पैक्ड ही बेचान करता है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./2687/एक्ट/2022/2721 दिनांक 07.09.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ नमकीन भुजिया (कैलाश) मिस ब्राडेन्ड (Misbranded) पाया गया है। जो एफ.एस.एस. एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी फर्म मै0 रणवां डिपार्टमेन्टल स्टोर पर नमकीन भुजिया (कैलाश)का बेचान करता है तथा स्वयं फर्म मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ नमकीन भुजिया (कैलाश) मिस ब्राडेन्ड (Misbranded) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री रामनिवास पुत्र फुलचन्द रणवां, मै0 रणवां डिपार्टमेन्टल स्टोर, घुमचक्कर सीकर रोड़, नवलगढ, झुन्झुनू निवासी पोददारों का कुआं, नवलड़ी, झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रक[illegible]दक को 10,000/– दस हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से [illegible] राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 [illegible] में जरिये चाला[illegible] में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में [illegible] खाद्य सुरक्षा अधि[illegible] कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिका[illegible] झुन्झुनू को भिजवाये। आदेश[illegible] गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:31:00 IST
Reason: SelfAttested